पनबिजली परियोजनाओं के लिए नए मापदंड

वर्षों चले सामाजिक विरोध के बाद जून में पेरू ने घोषणा की कि वह ब्राज़ीलियन कंसोर्शियम के साथ हुए उस समझौते को निरस्त कर रहा है जिसके अंतर्गत 2000 मेगावॉट का इनामबारी बांध बनाया जाना था। इस बांध के बनने से अमेज़न का 400 वर्ग किलोमीटर जंगल डूबने का खतरा था। मगर आम तौर पर विकासशील देशों में पनबिजली बहुत उफान पर है।

हाल ही में पनबिजली परियोजनाओं के लिए नए मापदंड जारी हुए हैं। उम्मीद है कि इनके आधार पर फैसले ज़्यादा आसानी से हो सकेंगे। ये मापदंड पनबिजली उद्योग, पर्यावरण व मानव अधिकार संगठनों, बैंकों व सरकारों के प्रतिनिधियों ने मिलकर विकसित किए हैं। इनके आधार पर किसी भी पनबिजली परियोजना का मूल्यांकन संभव होगा और कई सारे कुप्रभावों को संभाला जा सकेगा।

ब्राज़ील में 16 जून को जारी किए गए हाइड्रोपॉवर सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट प्रोटोकॉल (पनबिजली टिकाऊपन आकलन प्रोटोकॉल) के अंतर्गत परियोजना का मूल्यांकन योजना बनने से लेकर उसके संचालन तक हर चरण में किया जा सकता है। इसकी मदद से किसी भी परियोजना को 0-5 के एक पैमाने पर रखा जाएगा जिसमें जैव विविधता, इकॉलॉजी, हाइड्रॉलॉजी, और अपरदन पर असर के अलावा क्षेत्रीय नियोजन, सांस्कृतिक धरोहर और स्थानीय लोगों पर असर जैसे मापदंड शामिल होंगे।

फिलहाल यह प्रोटोकॉल स्वैच्छिक है। मगर ऐसा माना जा रहा है कि इस तरह के आकलन का दबाव योजनाकारों पर पड़ेगा जो संभवतः परियोजना पर पुनर्विचार करने को तैयार होंगे। विश्व प्रकृति निधि के पेड्रो बारा को लगता है कि यह कारगर होगा।

दरअसल, इस प्रोटोकॉल की जड़ें विश्व बांध आयोग में हुए विचार-विमर्श में देखी जा सकती हैं। आयोग ने वर्ष 2000 में अंतर्राष्ट्रीय दिशानिर्देश तैयार किए थे। इनके आधार पर इंटरनेशनल हाइड्रोपॉवर एसोसिएशन ने 2006 में अपना प्रोटोकॉल प्रकाशित किया था। मगर लगातार आलोचना के चलते एसोसिएशन ने पर्यावरण समूहों और मानव अधिकार संगठनों के साथ विचार-विमर्श शुरू किया और उसी के परिणामस्वरूप यह दस्तावेज़ सामने आया है।

ऐसा माना जा रहा है कि विभिन्न एडवोकेसी समूह, सरकारें और कंपनियां इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल अनौपचारिक रूप से कर सकते हैं मगर साथ ही समस्त हितधारियों से मिलकर बनी एक समिति इस काम को ज़्यादा व्यवस्थित व औपचारिक रूप से करेंगी। इसका खर्च कंपनी वहन करेंगी।

वैसे अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इस प्रोटोकॉल का उपयोग कैसे होगा। कंपनियों पर यह बंधनकारी नहीं है। इसके चलते पर्यावरण व मानव अधिकार समूह इसके इस्तेमाल को लेकर एकमत नहीं हैं। कुछ समूहों को लगता है कि यह लीपापोती के काम ही आएगा। एक समस्या यह भी है कि यह प्रोटोकॉल एक बार में एक परियोजना पर लागू होगा। अर्थात कुल मिलाकर पनबिजली रणनीति का समग्र असर सामने नहीं आ पाएगा।

इस प्रोटोकॉल के समर्थकों की राय है कि देर-सबेर सरकारें इसके अंतर्गत औपचारिक आकलन स्वीकार करने को बाध्य होंगी। कंपनियों को लग रहा है कि इस तरह के प्रोटकॉल से जन-विरोध का सामना करना आसान हो जाएगा। फिलहाल 140 कंपनियों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। ***(स्रोत फीचर्स)***